

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग*

एम. राजेश्वर राव

देवियो और सज्जनों,

इस आशा और प्रार्थना के साथ ब्रासीलिया में आपको एक बहुत ही हार्दिक सुप्रभात कि आप सभी इस महामारी के चंगुल से सुरक्षित और स्वस्थ रहें जिसका प्रकोप अभी भी हम पर जारी है। मैं ब्राजील में भारत के राजदूत महामहिम श्री सुरेश रेड्डी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुक्त (ओपन) बैंकिंग¹ के इस भविष्योन्मुखी परंतु अत्यंत प्रासंगिक विषय पर आप सभी के साथ बातचीत करने के हार्दिक आमंत्रण दिया।

सर्वत्र अभिगम (एक्सेस) और सूचना, सेवाओं और उत्पादों तक व्यापक पहुँच वाले इंटरनेट कनेक्शन से लैस मोबाइल फोन और हस्तगत उपकरणों के सहारे आधुनिक दुनिया तेजी से परस्पर सम्बद्ध हो गई है। आधुनिक मानव के सभी प्रयासों में तकनीक जहाँ हर चीज में सहायक है, वहीं इसके अंदर उथल-पुथल करने वाली ऐसी शक्ति है, जो सुसिद्ध कारोबारी मॉडलों को चुनौती देती है, नए बाजार खोलती है और भौगोलिक विभाजन की सीमाओं को धुंधला कर देती है।

प्रौद्योगिकी ने बैंकों और वित्तीय फर्मों को अब तक अछूते रहे उन बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में सक्षम और सशक्त बनाया है जो वित्तीय वितरण विधियों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और खिलाड़ियों की पहुँच से बाहर रहे हैं। हाल के वर्षों में, वित्त पोषण के प्रौद्योगिकी-चालित तरीके, नए वित्तीय कारोबारी मॉडल, विशेष वित्तीय सेवाएं और उत्पाद सामने आ रहे

* 14 अप्रैल, 2021 को ब्राजील में भारतीय दूतावास के सहयोग से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा आयोजित ओपन बैंकिंग पर एक वेबिनार में श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर द्वारा की गई समेकित टिप्पणी। श्री सुनील टीएस नायर, श्री अनुज रंजन, श्री चंदन कुमार और श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए उनके प्रति आभार।

¹ मुक्त (ओपन) बैंकिंग को बैंकों द्वारा वेसे एप्लिकेशनों और सेवाओं के निर्माण के लिए तृतीय पक्ष के डेवलपर्स और फर्मों के साथ ग्राहक-अनुमोदित डेटा के साझाकरण और उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जो खाताधारकों के लिए तत्काल भुगतान, अधिक वित्तीय पारदर्शिता के विकल्प देते हैं तथा मार्केटिंग और क्रॉस-सेलिंग के अवसर भी। अलग-अलग क्षेत्राधिकार मुक्त बैंकिंग को अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं (बीसीबीएस; नवंबर 2019)।

हैं और पी2पी उधार, धन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस), स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट, एआई/एमएल आधारित निर्णय विश्लेषण प्रणाली और रोबो-परामर्श, आदि जैसे क्षेत्रों में फिनटेक नवोन्मेष को आगे बढ़ा रहे हैं तथा विनियामकीय सरोकारों व और विमर्श को आकार देना शुरू कर चुके हैं। डेटा साझाकरण, डेटा अभिगम (एक्सेस) और काफी हद तक डेटा लोकतंत्रीकरण से संबंधित विषय इस विमर्श के केंद्र में हैं।

वित्तीय पाइपलाइन जो कभी भुगतान चैनलों और लेनदेन पर व्यापक रूप से केंद्रित थी, अब उपभोक्ताओं के वित्तीय डेटा तक भी पहुँचना चाहती है। वित्तीय डेटा का डिजिटल आदान-प्रदान सेवा के नए उभरते मॉडलों, प्रणाली में अक्षमताओं को दूर करने और नई उत्पाद संभावनाएं खोलने का आधार हो सकते हैं। इसलिए, विनियामक और राष्ट्रीय प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि वित्तीय सूचना डेटा विनिमय की सरल संरचना के विकास में वित्तीय प्रणालियों को बदलने की क्षमता निहित है और इससे उत्पाद नवाचार और ग्राहकों और अंतिम उपयोक्ताओं के लिए वित्तीय सेवाएं बेहतर ढंग से मिल सकती हैं। इसलिए, वित्तीय डेटा अभिगम (एक्सेस) और वितरण के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, न केवल संबंधित हितधारी संस्थानों के लिए बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास के लिए भी।

किसी व्यक्ति का वित्तीय डेटा आम तौर पर टुकड़ों में होता है और वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों और कुछ मामलों में विनियामकों के डेटा भंडारों की खतियों (साइलो) में छितराया होता है। यद्यपि वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोक्ताओं (एफआईयू) के बीच डेटा को निर्बाध, सुरक्षित और तेजी से साझा करने के लिए कुछ औपचारिक प्रकार के ढांचे मौजूद हैं, फिर भी कुल उपयोक्ता डेटा (एग्रीगेट यूजर डेटा) के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य और स्वीकृत एकीकृत समाधानों के मामले में एक शून्य है जिससे व्यक्तियों और फर्मों के वित्तीय इतिहास और लेनदेन का एक अखंड और विस्तृत चित्र मिलता। नतीजतन, वित्तीय जरूरतों को पहचानने व पूरा करने और अंतिम उपयोगकर्ताओं को व्यापक सेवा पहुँचाने में खंडित जानकारी की इस विशाल मात्रा का प्रभावी उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में, बीसीबीएस की एक अध्ययन रिपोर्ट² का कहना है कि ग्राहक की अनुमति से बैंक के पास रखे डेटा को तृतीय पक्ष के साथ साझा करने का काम यद्यपि कई वर्षों से हो रहा है, पर डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग और तेजी से विकसित हो रही डेटा एकत्रीकरण तकनीकें दुनिया भर में खुदरा बैंकिंग सेवाओं का रूप बदल रही हैं। तृतीय पक्ष के साथ ग्राहक -अनुमोदित डेटा का बैंकों द्वारा इस साझाकरण का उपयोग एप्लीकेशंस और सेवाएं तैयार करने में होता है जो तीव्रतर व सुगमतर भुगतान, खाताधारकों के लिए पहले से अधिक वित्तीय पारदर्शिता व विकल्प, नई व बेहतर खाता सेवाओं के साथ अतिरिक्त मार्केटिंग और क्रॉस-सेलिंग के अवसर भी प्रदान करते हैं।

ऐसे कदमों से यह मुद्दा भी उठता है कि वैयक्तिक ग्राहकों का डेटा रखने वाले वित्तीय संस्थान क्या केवल एजेंटों के रूप में कार्य करें और क्या उनके पास स्वामित्व हिस्सेदारी होनी चाहिए जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से चालित हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डेटा अभिगम (एक्सेसिबिलिटी) और उपयोग का अधिकार डेटा रखने वालों के बजाय डेटा के मालिकों के पास होना चाहिए। इस डेटा लोकतंत्रीकरण के अलावा और बड़ी चिंताएं हैं जो सहमति-आधारित संरचना में निहित डेटा के संरक्षित (सेफ़) और सुरक्षित (सिक्योर्ड) तरीके से परिवहन और भंडारण को लेकर हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकार वर्तमान में एक ऐसे ढांचे की इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में हैं जो विभिन्न पद्धतियों में कुशल और सुरक्षित नेविगेशन द्वारा ग्राहक के वित्तीय डेटा का उपयोग करने में सहायक हो; उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्थान के यूजर एप्लीकेशनों के भीतर खुले एपीआई ढांचे के उपयोग की अनुमति द्वारा। भारत में, हमने भी वित्तीय डेटा साझाकरण की परिधि को विस्तार देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स (एएएस) के रूप में ऐसे ही परितंत्र की संकल्पना की है।

अब मैं भारतीय संदर्भ पर संक्षेप में कुछ विचार रखना चाहता हूँ:

भारत में मुक्त (ओपन) बैंकिंग के प्रयास

वैश्विक स्तर पर, मुक्त (ओपन) बैंकिंग संबंधी विनियामकीय संरचनाओं में इस बात की व्यवस्था है कि ग्राहक-अनुमोदित डेटा

² नवंबर 2019; रिपोर्ट ऑन ओपन बैंकिंग और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज; बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति; अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक

तृतीय पक्ष के लिए उपलब्ध हो जिसके लिए तृतीय पक्ष की लाइसेंसिंग या उनको प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता होती है, तथा डेटा निजता (प्राइवैसी) व प्रकटीकरण और सहमति संबंधी अपेक्षाओं को लागू किया जाता है। कुछ संरचनाओं में इस बात से संबंधित प्रावधान भी हो सकते हैं कि क्या तृतीय पक्ष डेटा को आगे "चौथे पक्ष" से साझा और/या उनको पुनर्विक्रय (रिसेल) कर सकते हैं, क्या ग्राहक की मूल सहमति से बाहर के उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं और क्या बैंकों या तृतीय पक्षों को डेटा साझा करने का लाभ दिया जा सकता है। मुक्त बैंकिंग संरचनाओं में डेटा भंडारण और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं या आवश्यकताएं भी हो सकती हैं।

भारत ने ओपन बैंकिंग के लिए अपने रुख की शुरुआत इसके लिए एक मध्यस्थ की व्यवस्था करके की है जो ग्राहकों की सहमति प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। ये मध्यस्थ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में लाइसेंस प्राप्त हैं। सितंबर 2016 में, रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) नामक एक नई लाइसेंस प्राप्त इकाई बनाने की घोषणा की और उन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के यहाँ रखी ग्राहक की वित्तीय जानकारी को समेकित करने की अनुमति दी। भारत में, एए वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) जैसे बैंक, बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, बीमा कंपनी, बीमा रिपोजिटरी, पेंशन फंड आदि और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के साथ पंजीकृत और विनियमित संस्थाएं हैं। सूचना का प्रवाह उपयुक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से होता है।

इस तरह की जानकारी का हस्तांतरण ग्राहक की स्पष्ट सहमति तथा एए, ग्राहक और वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच उपयुक्त करारों/प्राधिकारों पर आधारित है। डेटा को एग्रीगेटर स्टोर नहीं कर सकता या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। स्पष्ट और मजबूत डेटा सुरक्षा और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किए गए हैं और अकाउंट एग्रीगेटर्स को किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है, मुख्यतः ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए।

सहमति आधारित स्थापत्य

इस प्रकार भारत में अकाउंट एग्रीगेटर्स के लिए विनियामकीय संरचना का जोर डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट ग्राहक सहमति पर है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ग्राहक की कोई भी वित्तीय जानकारी निकाली, साझा या स्थानांतरित नहीं की जानी है। भारत में इस मुक्त बैंकिंग प्रयास के अन्य सिद्धांत हैं - वित्तीय डेटा अखंडता (इंटिग्रिटी), सुरक्षा व गोपनीयता, मजबूत आईटी अभिशासन व नियंत्रण, और मजबूत ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था। इसके अलावा, एए परितंत्र में डेटा की निर्बाध आवाजाही और वित्तीय जानकारी के सहमति-आधारित साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, रिजर्व बैंक की एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (रेबिट) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाली सभी विनियमित संस्थाओं के लिए नवंबर 2019 में प्रमुख तकनीकी विशिष्टताओं का एक सेट तैयार किया है।

उपयोगकर्ताओं की महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी की सुरक्षा और ग्राहकों से समुचित सहमति प्राप्त करने की एक व्यवस्था को लागू करने के लिए, खाता एग्रीगेटर द्वारा ली जाने वाली ग्राहक सहमति एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सहमति प्रारूप होगी जो नियमों के तहत निर्धारित होगी। एए को सहमति प्रारूप में निहित सभी आवश्यक विशेषताओं और शिकायत दर्ज करने के ग्राहक के अधिकारों के बारे में ग्राहक को सूचित करना होता है। सहमति को रद्द करने की व्यवस्था भी ग्राहकों के लिए रखी गई है जिसके बाद एक नई सहमति प्राप्त करनी होगी। सहमति की वैधता, निर्दिष्ट दिनांक व इसका उपयोग और एए के विवरणों की वैधता को सत्यापित करने का स्पष्ट दायित्व भी वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) पर है।

ओपन बैंकिंग के मुद्दे पर अलग-अलग क्षेत्राधिकारों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। कुछेक का दृष्टिकोण निर्देशात्मक है, जिसमें बैंकों को ग्राहक-अनुमोदित डेटा साझा करने और तृतीय पक्ष के उपयोगकर्ताओं को विनियामकीय प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ दूसरों ने

मार्गदर्शन और अनुशंसित मानक जारी करके और खुले एपीआई मानकों और तकनीकी विनिर्देश जारी करके सुगमकारी दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ क्षेत्राधिकार बाजार-चालित तरीका अपनाते भी प्रतीत होते हैं, जिसमें वर्तमान में कोई स्पष्ट नियम या मार्गदर्शन नहीं है।

एए भारत में एक संकर (हाइब्रिड) मॉडल के तहत की गई एक विनियामक पहल है जो निर्देशात्मक और सुगमकारी दृष्टिकोणों का मिश्रण है और अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। इसमें देखने वाली एक प्रमुख बात यह है कि क्या इस पहल को अपनाने में बाजार की ताकतें आगे आएंगी या थोड़े से और विनियामकीय दबाव की आवश्यकता होगी। अपनाने की गति समुदाय की एक साथ आने और तकनीकी विशिष्टताओं के मानकों और वर्धनीयता क्षमता को आगे ले जाते रहने की शक्ति पर भी निर्भर करेगी।

अब, एक केंद्रीय बैंकर और विनियामक की परंपरा को जारी रखते हुए, कुछ जोखिमों के बारे में भी बता दूँ और साथ ही सावधान करता चलूँ।

मुक्त (ओपन) बैंकिंग से जुड़े जोखिम

उपभोक्ताओं को वित्तीय डेटा और सेवाओं की सुलभता और वित्तीय संस्थानों के लिए कुछ लागतों को सुव्यवस्थित करने के रूप में ओपन बैंकिंग कुछ लाभ दे सकता है। तथापि, इसमें अहम जोखिमों और चिंताओं की संभावनाएं भी हैं:

- *वित्तीय निजता (प्राइवैसी) और डेटा सुरक्षा:* मुक्त (ओपन) बैंकिंग ढाँचों में, खराब सुरक्षा के कारण व्यक्तिगत डेटा के नुकसान या चोरी, डेटा संरक्षा के उल्लंघनों, धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी चिंताओं से जुड़े जोखिमों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आदर्शतः मुक्त बैंकिंग ढाँचे को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के पहले मजबूत डेटा संरक्षण और निजता (प्राइवैसी) कानून आने चाहिए। ऐसे कानून स्वामित्व अधिकारों को संचालित करें और डेटा नियंत्रण और डेटा का सहमति-आधारित उपयोग सुनिश्चित करें। वे तृतीय पक्ष द्वारा उपयोग, चतुर्थ पक्ष को डेटा की डाउन-स्ट्रीमिंग

और इसके पुनर्विक्रय के अधिकारों और दायित्वों की सीमाएं भी तय करें। भारत पहले ही इस दिशा में चल पड़ा है और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (पर्सनल डेटा बिल), 2019 पहले ही प्रस्तुत हो चुका है। विधेयक में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास है और इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है।

- **ग्राहक दायित्व:** ग्राहकों की शिकायतों के निवारण और गलत या कपटपूर्ण गतिविधि के मामले में उनकी देयता को सीमित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में, मुक्त बैंकिंग ढांचे की स्वीकार्यता सीमित रह सकती है। इसलिए, क्षेत्राधिकारों को चाहिए कि डेटा तक तृतीय पक्ष के अभिगम के मामले में ग्राहक दायित्व के विषय पर वे ग्राहक सुरक्षा या क्षतिपूर्ति कानूनों के माध्यम से कार्रवाई करने का प्रयास करें। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2014 में ग्राहक अधिकार-पत्र (चार्टर ऑफ़ राइट्स) जारी किया है जिसमें अन्य बातों सहित 'निजता के अधिकार' को 'शिकायत निवारण और मुआवजे के अधिकार' के साथ सूचीबद्ध किया गया है। निजता के अधिकार के अनुसार अपेक्षित है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी तब तक गोपनीय रखी जानी है जब तक कि वे वित्तीय सेवा प्रदाता को सपष्ट सहमति नहीं देते या कानूनन ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता हो या अनिवार्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दी जाए।
- **साइबर सुरक्षा और परिचालन संबंधी जोखिम:** मुक्त बैंकिंग ढांचे का उपयोग, जिसका आधार डेटा की अधिक साझेदारी है, साइबर धोखाधड़ी के मैदान को बड़ा कर देता है। चूंकि मुक्त (ओपन) एपीआई आधार-संरचना में रखे लेन-देन और शेष राशि जैसे ग्राहक बैंकिंग डेटा तक निर्बाध पहुँच देता है, यह एक गंभीर साइबर सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। साइबर घटनाओं के कारण ग्राहकों को हुए नुकसान के लिए वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों को ऐसे नुकसान की

भरपाई करनी होगी। संस्थानों को एपीआई के उपयोग से संबंधित कई संभावित परिचालनीय और साइबर सुरक्षा मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डेटा उल्लंघनों, दुरुपयोग, मिथ्याकरण, सेवा वंचन आक्रमण और आधार-संरचना गड़बड़ी शामिल हैं।

- **अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम:** मुक्त (ओपन) बैंकिंग जहाँ पारंपरिक बैंकिंग के परिदृश्य का विस्तार करती है और कारोबार के अनूठे अवसर देती है, यह संबंधित विवेकपूर्ण नियमों और निजता कानूनों के अनुपालन में अत्यधिक जिम्मेदारियां भी डालती है। पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के तौर पर जुर्माना, दंड, या दंडात्मक क्षति के साथ-साथ तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाता की भूल-चूक से जुड़े निजी निपटानों की संभावना (के प्रति एक्सपोजर) के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **शिकायत निवारण:** मुक्त बैंकिंग मॉडल में वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था में अधिक पार्टियों और बिचौलियों के शामिल होने के कारण, दायित्व निर्धारण अधिक कठिन है। यदि ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी विनियम मुक्त बैंकिंग व्यवसाय मॉडल के अनुसार अद्यतन नहीं किए जाते, तो राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए ग्राहकों को पर्याप्त स्तर की सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए एक अलग लोकपाल योजना लागू की है। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो दर्शाती है कि बैंकिंग के डिजिटल तरीकों को अधिकाधिक अपनाया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा, मुक्त बैंकिंग ढांचे में विनियामकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओपन बैंकिंग में, फिनटेक फर्मों, डेटा एकत्रीकरण में लगी मध्यस्थ फर्मों और अन्य सेवा प्रदाताओं जैसी अनेक प्रकार की तृतीय-पक्ष व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिनका बैंक के साथ कोई संविदात्मक करार नहीं भी हो सकता है, जिस पर विनियामक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर

पाएं। इसके अलावा, संभव है कि इनमें से कई फर्म वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक की विनियामकीय परिधि में ही न आए। ऐसी स्थितियों में, नियामकों के लिए आवश्यकताओं, विशिष्टताओं को निर्धारित करना और विनियामकीय विधिशास्त्र का प्रयोग कठिन हो सकता है।

भारत सहित कई अधिकार-क्षेत्रों में, बैंकों व अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के लिए स्पष्ट नियम हैं। पर्यवेक्षकों के पास तृतीय-पक्ष संस्थाओं पर एक हद तक निगरानी का भी अधिकार है। मुक्त बैंकिंग में संबंधों के धागे यदि मौजूदा पर्यवेक्षी और विनियामकीय परिधि के पार जाते हैं, तो मानकों और विवेकपूर्ण नीतियों को लागू करना कठिन हो सकता है।

निष्कर्ष

वित्तीय प्रणाली में मुक्त (ओपन) बैंकिंग एक संभाव्य भंजक है तथा ग्राहकों व बैंकों दोनों के लिए बैंकिंग करने के तरीकों को बदल सकता है। विशुद्ध तकनीक के खिलाड़ी स्थापित अपितु पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं से बाजार का हिस्सा छीन सकते हैं क्योंकि वे तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं, उच्चतर दक्षता के दम पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की डिजिटल चुस्ती उनमें है, उनके पास बेहतर यूजर इंटरफेस है और मूल्य निर्धारण में वे अधिक प्रतिस्पर्धी हैं।

मुक्त (ओपन) बैंकिंग में कुछ देशों के विपरीत, भारत ने एक ऐसी पद्धति अपनाई है जहाँ विनियामक और बाजार दोनों ने ओपन

बैंकिंग स्पेस के विकास के लिए साथ काम किया है। भारत में, रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी भुगतान प्रणाली लेकर आई तथा बैंकों और तृतीय पक्ष के ऐप प्रदाताओं के लिए अपना एपीआई जारी किया जिस पर आगे कुछ बनाया जा सकता है। बाजार सहभागी भी नवोन्मेष को बढ़ा रहे हैं तथा कई बैंक अपना खुद का एपीआई जारी कर रहे हैं और फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़कर अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव दे रहे हैं। इसके अलावा, विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) और रिजर्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (इनोवेशन हब) की शुरुआत को देखें तो, रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का रहा है।

साथ ही, सभी हितधारकों को यह समझना होगा कि यद्यपि तकनीकी नवोन्मेष बड़े महत्त्व की चीज है, ग्राहक गोपनीयता और डेटा संरक्षण से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें ग्राहकों के बीच भरोसा पैदा करना होगा कि विनियमित संस्थाओं के साथ उनके सभी वित्तीय संबंधों में उनका डेटा संरक्षित और सुरक्षित है और उसके लिए - नवोन्मेष और विनियमन को साथ-साथ चलना होगा। विनियामकों और पर्यवेक्षकों को भविष्य की चुनौतियों की भी तैयारी करनी चाहिए। आखिरकार, जैसा कि (विनियामकों के लिए) कहा जाता है " किसी दिन के मौसम को वे भले ही नज़रअंदाज़ कर लें, उस युग के जलवायु की अनदेखी वे नहीं कर सकते"।

धन्यवाद।